कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

पत्रांक 2701/विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 19/8/, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
2–समस्त जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष **2019–20 में अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार कुल धनराशि रु. 260.00 लाख का व्यय के सम्बन्ध में।**

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासनादेश सं.–35/2019/1045/46–1–19/1000(12)/2019 दिनांक 26 जुलाई, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.37,20,748, प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु. 96,60,000, अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.1,23,000, आधार बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.5,09,084, मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम हेतु रु.45,03,544, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु रु.41,92,000, बायोफर्टिलाईजर/वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम हेतु रु.32,24,000 तथा वानिकी कार्यक्रम हेतु रु.67,624 कुल धनराशि रु.2,60,00,000 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त की गई है। जिसके भौतिक लक्ष्य पत्र के साथ संलग्न है। अवमुक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय/उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है:–

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के पैरा–2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए नही किया जायेगा।

प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं.–2043सी.डी./46–3–12–1000(38)/2012 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइड–लाइन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या–2464/14–5–2015–123/2015 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों के लिए बजट के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकृत करते हुए व्यय की जायेगी। तद्हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम–10 में वानिकीयकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय

वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से डी.बी.टी. व्यवस्था के तहत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.–1/2019/बी–1–170/दस– 2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

4. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

5. सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाय।

6. योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा जोखा रखने तथा प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

7. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमाति से ही किया जायेगा।

9. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–04–गन्ना विकास याजना (जिला योजना)–27 सब्सिडी के नाम डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–07/26–ब.प्र.2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

Hw

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–735/सी/ विविध/ 01–स्था0 दिनांक 24.6.2019 के क्रम में जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी का अतिरिक्त प्रभार जिला गन्ना अधिकारी, गाजीपुर को सौंपे जाने के फलस्वरूप एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या– 239/सी दिनांक 29.6.2019 के क्रम में जिला गन्ना अधिकारी, कानपुर का समस्त कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी फर्रूखाबाद स्थानान्तरित कर दिये जाने के फलस्वरूप वाराणसी व कानपुर को अवमुक्त की जा रही अनुदान राशि का क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, गाजीपुर द्वारा जनपद वाराणसी के पात्र गन्ना कृषकों एवं जिला गन्ना अधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा जनपद कानपुर के पात्र गन्ना कृषकों में अनुदान राशि का नियमानुसार डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण सुनिश्चित करायेगें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अवमुक्त धनराशि का शतप्रतिशत डी.बी.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत व्यय एवं सलंग्न भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद, वित्त विभाग, शासन तथा इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(मनीष चौहान)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश

पत्रांक 2701 **तददिनांकः** 1/8/19

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।

(आर.पी.यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास),
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
उत्तर प्रदेश